

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वाल्हौर

प्रकरण क्रमांक 12014 रीटोरेशन ( विविध) 221 9258-111

~~203~~ ~~वालमीक चर पुत्र लक्ष्मण चर 203~~

~~203~~ ~~सखीचमण्डल मध्यप्रदेश 203~~

निवासी ग्राम छवा मूर, तैहसील - मउगज,

जिला रीवा - मध्यप्रदेश एवं अन्य ।

----- प्राथमिक

विराध्य

शेण अणिवर पुत्र रामानुजवर,

निवासी ग्राम छवा मूर, तैहसील - मउगज,

जिला रीवा - मध्यप्रदेश एवं अन्य ।

----- प्रतिप्राथमिक

पस.क. 8 वा.श्री. 25  
11/11/16

17-11-16

203/99/96

पुनरास्थापन आवेदन-पत्र अंतर्गत नियम 32-ए, धारा 8 मध्यप्रदेश  
मू-राजस्व संहिता 1954। प्र०क० 60/सी।08 निरारानी  
वादीक दिनांक 204

श्रीमान् जी,

पुनरास्थापन आवेदन पत्र निम्न वाधारों पर

प्रस्तुत है:-

- 1- यह कि, उपरोक्त प्रकरण में निवेदन है कि निरारानी प्रकरण में पेशी दिनांक अद्यतनित थी ।
- 2- यह कि, निम्न दिनांक अद्यतनित प्रकरण तूर्ण होने से आगामी तारीख पेशी निम्न दिनांक था ।
- 3- यह कि, निम्न दिनांक की उम्म पडा एवं अन्य प्रकरण में निम्न वापिमाणक महीनय की अनुपस्थिति में प्रकरण क्वम पैरवी में निरस्त ही गया है ।
- 4- यह कि, निम्न दिनांक की कोईसुचना प्राथमिक को न थी ।

कुमशः—2


*Handwritten signature*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो 9258-दो/16

जिला -रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17.11.16	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस० के० अवस्थी उपस्थित। उन्हें रेस्टो० आवेदन पर तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता का तर्क था कि प्रकरण में अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ था एवं अधिवक्ता किसी कार्यवस उपस्थित नहीं हुये। अधिवक्ता की अनुपस्थित नहीं होने से निग० प्रकरण क्रमांक 604-दो/01 में अदम पैरवी में निरस्त हो गया था। पुनः प्रकरण नंबर लेने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा निग० 604-दो/01 पुनः नंबर पर लिया जाता है। यह रेस्टो० समाप्त कर निराकृत किया जाता है।</p>	<p> सदस्य</p>

